न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
15 / 2022	2022 / 111	22.04.2022	29.08.2022

उनवान प्रकरण

माया यादव पत्नी रामदेव यादव आयु 31 वर्ष जाति अहीर निवासी ढाणी हणमानसागर तन् ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

—प्रार्थीया

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

—अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 – प्रार्थीया की ओर से

पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी की ओर से

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत भूमि खसरा नम्बर 1646 रकबा 1.22 हैक्टर तन् ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है। जिसकी प्रार्थीया काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

29/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के आदेश क्रमांक 07/31–03–22 की पालना में दिनांक 13.04.2022 किया जा चुका है। उक्त वर्णित भूमि के दक्षिणी तरफ व पश्चिमी तरफ कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं है। मौके पर भूमिया खाली है । वर्तमान में कोई फसल आदि भी काश्त नहीं की हुयी है। प्रार्थीया अपनी खातेदारीशुदा भूमि में सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के आदेश क्रमांक 07/31–03–22 की पालना में दिनांक 13.04.2022 के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहती है। इसलिए प्रार्थीया की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है। जिसकी पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13.04.2022 के अनुसार किये जाने का निवेदन प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1 से प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में जॉच रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1660/भू.अ./2022 दिनांक 13.06.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि वादग्रस्त भूमि की खतेदारी माया देवी पत्नि रामनिवास अहीर के नाम दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में भूमि मौकें पर खाली है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है एंव ना ही विवाद होने बाबत अवगत कराते हुए सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है।

प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीया एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया अभिभाषक ने निवेदन किया कि ग्राम कटा[illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1646 [illegible] 1.22 हैक्टर जिसकी प्रार्थीया काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 13.04.2022 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:18 IST
Reason: SelfAttested

28/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक 7/भू.अ./2022 दिनांक 31.03.2022 की अनुपालना में विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थीया उक्त खसरा नम्बर का विधिवत रूपेण पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। मौके पर कोई फसल काश्त की हुई नहीं है। जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से भी जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में किया गया है।

हमने वकील प्रार्थीया की बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम फूटाला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1646 रकबा 1.22 हैक्टर जिसकी खातेदारी प्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 13.04.2022 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक 7/भू.अ./2022 दिनांक 31.03.2022 की अनुपालना में विधिवत तरीके से सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थीया उक्त खसरा नम्बर का विधिवत रूपेण पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। उक्त विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का फूटाला द्वारा दिनांक 13.04.2022 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1646 रकबा 1.22 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम फूटाला की पत्थरगढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:18 IST
Reason: SelfAttested

29/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का फूटाला द्वारा दिनांक 13.04.2022 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

29/08/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/08/22

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.09.09 14:14:18 IST
Reason: SelfAttested